

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला गोपनीय प्रशाखा)


आदेश

अधोहस्ताक्षरी के भ्रमण के क्रम में यह पाया गया है कि कतिपय प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी अपना आवासन प्रखंड मुख्यालय में नहीं रखकर अन्यत्र स्थानों से आते-जाते हैं। इससे न केवल विकास/राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होता है बल्कि विधि-व्यवस्था के त्वरित निष्पादन में भी कठिनाई होती है।

अतः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना आवासन प्रखंड मुख्यालय में ही रखें। आवासन प्रखंड मुख्यालय से बाहर रहने के स्थिति में उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

६०/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

- ज्ञाप संख्या- 1193/गो० मोतिहारी, दिनांक- 20 वीं जून, 2014
- प्रतिलिपि- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी अंचलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण/अपर समाहर्ता (विभागीय जॉंच), पूर्वी चम्पारण/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी। 19/6